रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 506] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 1975/पौष 5, 1897
No. 506] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 1975/PAUSA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd December 1975

S.O. 724(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1975 (13 of 1975), the Central Government, being requested so to do by Punjab National Bank, establishes, with effect from the 26th December, 1975 a Regional Rural Bank in the State of Bihar under the name of Bhojpur-Rohtas Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the districts of Bhojpur and Rohtas in the State of Bihar.

[No. F. 4-70/75-AC.]

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1975

का० आ० 724 (अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश 1975 (1975 का 13) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक

के अनुरोध पर बिहार राज्य में 26 दिसम्बर 1975 से भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करती है जो कि बिहार राज्य के भोजपुर और रोहतास जिलों की स्थानीय सीमाओं के भीतर कार्य करेगा ।

[सं० एफ० 4-70/75-ए० सी०]

S.O. 725(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1975 (13 of 1975), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Punjab National Bank, by which Bhojpur-Rohtas Gramin Bank has been sponsored, specifies Arrah as the place where Bhojpur-Rohtas Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 4-70/75-AC.]

N. C. SEN GUPTA, Secy.

का० आ० 725 (अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश 1975 (1975 का 13) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक के प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक से परामर्श करने के पश्चात् आरा को ऐसे स्थान के रूप में निर्धारित करती है जहां भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक अपना मुख्य कार्यालय रखेगा ।

[सं० एफ० 4-70/75-ए० सी०]

निर्मल चन्द्र सेन गुप्ता, सचिव ।

(Department of Banking)

New Delhi, the 26th December 1975

S.O. 726(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government notifies, for the purposes of the said sub-clause, Bhojpur-Rohtas Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1975 (13 of 1975).

[No. F. 4-70/75-AC.]

K. P. A. MENON, Jt. Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1975.

का० आ० 726 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, उक्त उपखण्ड के प्रयोजन के लिए भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं० एफ० 4-70/75-ए० सी०]

के० पी० ए० मेनन, संयुक्त सचिव ।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

New Delhi, the 26th December 1975

S.O. 727(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Bhojpur-Rohtas Gramin Bank, Arrah.

[DBOD. No. 106/INCL/C. 102-75]

R. K. HAZARI, Deputy Governor.

भारतीय रिजर्व बैंक

(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1975

का० आ० 727(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा ।

[डीबीओडी सं० 106/आई एन सी एल/सी 102–75]

आर० के० हजारी, उप गवर्नर ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975